न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

पीठासीन अधिकारी :—स्वाति गुप्ता आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :—082 / 2023

1. कर्मजीत कौर पत्नी शेर सिंह जाति जटसिख निवासी सोहिया कोलोनी हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. शेर सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी सोहिया कोलोनी हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ़।

— — प्रार्थीगण

बनाम

1. काला सिंह सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी शेरडांडा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी। — — अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क)

उपस्थित अभिभाषकगण:—

1. श्री संजय कुमार शर्मा अधिवक्ता — —प्रार्थीगण
2. श्री जयनारायण शर्मा अधिवक्ता — —अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक :—21.2.2024

प्रार्थीगण कर्मजीत कौर आदि ने अप्रार्थी के विरुद्ध यह प्रार्थना पत्र 251ए आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में पेश किया है कि आराजी चक नम्बर 3 एस.आर. डब्ल्यू. जमांबदी सम्वत 2075 सें 78 खाता संख्या 152 / 33 में दर्ज 2.5490 हैक्टर भूमि में प्रार्थीया संख्या 1 का 1265 / 2548 हिस्सा व प्रार्थी संख्या 2 का 1284 / 2548 हिस्सा खातेदारी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है व इसी चक के खाता सद 149 / 128 में दर्ज 0.0260 हैक्टर प्रार्थी संख्या 2 व अप्रार्थी संख्या 1 के नाम ब0हि0ब0 खातेदारी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रमाणित जमाबन्दी संलग्न प्रार्थना पत्र है।

पक्षकारान एक ही परिवार के सदस्य है प्रार्थीगण को उक्त आराजी में आनें जानें के लिये कोई स्वीकृत शुदा रास्ता न … गण व अप्रार्थी संख्या 1 में रजामंदी से अर्सा दराज … 149 / 128 पत्थर नम्बर ·222 / 275(19) किला … 1 / … / 0.013 … व 10 / 1 / 0.013 है … अपनी कृषी भूमि में आनें जानें के लिये आपसी … मती से रास्ता छोड़ रखा … मौका पर चालू उक्त खातों की नकल जमाबंदीया पेश है। उक्त आराजी में आने जाने

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.05.08 11:12:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

के लिये प्रार्थीगण व उसके परिवार को कोइ स्वीकृत शुदा रास्ता नही है प्रार्थीगण उपरोक्त किलों में से हो कर इसी चालू शुदा रास्ता जो मौका पर चल रहा है से आते जाते है उक्त किलों में रास्ता मौका पर चालू है जिसका प्रार्थीगण उपयोग व उपभोग कर रहें है प्रार्थीगण उक्त वर्णित किलों में चालू शुदा रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते है इस रास्ते के अलावा प्रार्थीगण को अपनी भूमि में आने जाने के लिये कोई नजदीकी रास्ता नही है प्रार्थी के अपने खेत में आने जाने के लिये कोई स्वीकृत शुदा रास्ता नही है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पूर्ण कोर्टफीस पर तहरीर है व अन्दर मियाद तथा काबिल समायत अदालत हाजा के है।

लिहाजा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी.ए. पेश कर निवेदन है कि आराजी चक नम्बर 3 एस.आर.डबल्यू. खाता संख्या 149/128 पत्थर नम्बर 222/275(19) किला नम्बर 1/4/0013 हैक्टर व 10/1/0.013 हैक्टर आराजी में पूर्व दिशा में उत्तर से दक्षिण लम्बा चालू रास्ता स्वीकृत किया जावे।

उक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थना–पत्र पेश होने पर सरिस्ता की रिपोर्ट के बाद प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र की दफाओं को स्वीकार करते हुए अपना सहमति का जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी चक नम्बर 3 एस.आर.डबल्यू. जमांबदी सम्वत 2075 से 78 खाता संख्या 152/33 में दर्ज 2.5490 हैक्टर भूमिं में प्रार्थीया संख्या 1 का 1265/2548 हिस्सा व प्रार्थी संख्या 2 का 1284/2548 हिस्सा खातेदारी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है व इसी चक के खाता संख्या 149/128 में दर्ज 0.026 हैक्टर प्रार्थी संख्या 2 व अप्रार्थी संख्या 1 के नाम ब0हि0ब0 खातेदारी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर टिब्बी

हम पक्षकारान एक ही परिवार के सदस्य है प्रार्थीगण व मुझ अप्रार्थी संख्या 1 को उक्त आराजी में आनें जानें के लिये कोई स्वीकृत शुदा रास्ता नही है प्रार्थीगण व मुझ अप्रार्थी संख्या 1 नें रजामंदी से अर्सा दराज से चक नम्बर 3 एस.आर.डबल्यू. खाता संख्या 149/128 पत्थर नम्बर 222/275(19) किला नम्बर 1/4/0.013 हैक्टर व 10/1/0.013 हैक्टर में अपनी कृर्षी भूमिं [illegible] के लिये आपसी सहमती से रास्ता छोड़ रखा है जो मौका पर चालू है [illegible] किया जाता है तो मुझ अप्रार्थी को कोई उज्र व ऐतराज नही है। इसी अनुसार हमारा आपस में राजीनामा हो गया है व मैं अप्रार्थी इससे पूर्णतया सहमत हूं। तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी द्वारा जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.05.08 11:12:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

बहस उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। सहमति का जवाब प्रार्थना पत्र व पत्रावली मे संलग्न जमाबन्दीयों व अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, जबाव प्रार्थना पत्र, व तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी के जवाब प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया गया। रास्ता की आत्यांतिक आवश्यकता व वैकल्पिक रास्ते के अभाव के मद्देनजर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

क्रियात्मक आदेश

प्रार्थीगण एवम् अप्रार्थीगण के विद्धान अभिभाषकों की बहस पर मनन करनें तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत किये गये जवाब प्रार्थना–पत्र मय राजीनामा के अनुसार प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य पाये जानें पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251(क) के अन्तर्गत प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 कालासिंह व प्रार्थी संख्या 2 शेरसिंह की कृषि भूमि चक नम्बर 3 एस.आर.डबल्यू. खाता संख्या 149/128 पत्थर नम्बर 222/275(19) किला नम्बर 1/4/0.013 हैक्टर व 10/1/0.013 हैक्टर में रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन रास्ता का अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 21.02.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(स्वाति गुप्ता)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
टिब्बी

Signature Not Verified

Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.05.08 11:12:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner